

फर्म का नाम.....

क्रमांक :-

दिनांक:-

मानद सचिव,
चौपासनी शिक्षा समिति,
चौपासनी, जोधपुर (राज0)

विषय :- ई-निविदा के संबंध में ।

संदर्भ :- आपके द्वारा जारी ई-निविदा संख्या

दि0

महोदय,

सविनय निवेदन है कि आपके द्वारा जारी ई-निविदा संख्या दि0..... के संबंध में मैं/हम अपनी निविदा इस पत्र के साथ सलग्न की जा रही है ।

1. फर्म/कम्पनी का नाम :-.....
2. डाक का पूरा पता :-.....
.....
.....(पिनकोड.....)
3. फर्म/कम्पनी का रजिस्ट्रेशन न0 :-.....
4. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन न0 :-.....
5. पैन कार्ड नम्बर :-..... (सलग्न है)
6. निविदा प्रपत्र क्रमांकदिनांक :-.....(सलग्न है)
7. निविदा शुल्क राशि रुपये.....रसीद न0.....दिनांक.....
चैक/डीडी न0..... दिनांक.....

वचनबद्धता

मैंने/हमने चौपासनी शिक्षा समिति द्वारा जारी निविदा से संबंधित सभी शर्तों का पूर्ण अध्ययन कर लिया है । मुझे/हमें सभी शर्तें स्वीकार्य हैं । मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तावित दरे सलग्न प्रपत्र अनुसार हैं ।

स्थान:-
दिनांक :-

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदा से संबंधित नियम व शर्तें

1. निविदा से संबंधित नियम व शर्तें चौपासनी शिक्षा समिति की वेबसाईड www.chopasnishikshasamiti.com पर उपलब्ध है।
2. ई-निविदा अहस्तांतरणीय है।
3. निविदा फार्म का शुल्क 500 रु0 है। यह फार्म कार्यालय चौपासनी शिक्षा समिति, चौपासनी से कार्यालय समय में निविदा फार्म शुल्क जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है।
4. सफल निविदादाता को निर्धारित राशि अमानत राशि के रूप में डीडी के माध्यम से चौपासनी शिक्षा समिति में जमा करानी होगी। दस प्रतिशत अमानत राशि जमा करवानी होगी।
5. प्राप्त निविदाएँ क्रय समिति चौपासनी शिक्षा समिति के सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी।
6. प्रस्तावित क्रय सामग्री का सैम्पल/नमूना महाराजा हनवंत सैनिक स्कूल में उपलब्ध करवाना होगा। सैम्पल के आधार पर ही सामग्री क्रय की जाएगी। निविदा में उल्लेखित सामग्री निर्धारित किस्म, ब्राण्ड व साईज के अनुसार होनी चाहिये। फर्म द्वारा सप्लाई की जाने वाली सामग्री निर्धारित किस्म, ब्राण्ड, साईज व सैम्पल के अनुसार नहीं होने पर सामग्री अस्वीकृत कर दी जायेगी। अस्वीकृति सामग्री वापस उठाने का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित फर्म का होगा।
7. निविदा स्वीकृत होने पर संबंधित फर्म को निर्धारित किस्म, ब्राण्ड, साईज व सैम्पल के अनुसार क्रय आदेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह में अनिवार्य रूप से सामान सप्लाई करना होगा।
8. निविदा स्वीकृत होने पर संबंधित फर्म को किये जाने वाले भुगतान पर नियमानुसार टी.डी.एस. (आयकर शुल्क) कटौती की जायेगी।
9. निविदा स्वीकृत होने पर संबंधित फर्म को सामग्री सुपुर्दगी (F.O.R.) चौपासनी शिक्षा समिति कार्यालय, में अपने खर्चे पर पहुँचानी होगी।
10. निविदा से संबंधित सर्वाधिकार चौपासनी शिक्षा समिति, चौपासनी, जोधपुर के पास सुरक्षित रहेंगे।
11. किसी भी प्रकार की वाद की स्थिति में वाद क्षेत्र जोधपुर न्यायालय होगा।